संख्याः 2126/VII-II-11/191–उद्योग/2007

131

प्रेषक,

एस0रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निवेश आयुक्त,
कार्यालय, मुख्य निवेश आयुक्त,
उत्तराखण्ड नई दिल्ली।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 19 सितम्बर, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में अपर निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली हेतु अवचनबद्ध मदों में धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–940/VII-II-11/191–उद्योग/2007 दिनांक 28 अप्रैल, 2011 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII (1)/2011 दिनांकः 31 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में **मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली के अधिष्ठान व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष अन्तर्गत अबचनबद्ध मदों में स्वीकृत धनराशि 1/4 अंश के अतिरिक्त द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि ₹121 हजार (₹ एक लाख इक्कीस हजार मात्र)** निम्न विवरणानुसार/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्लीः–

कोड/मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (₹हजार में)
08–कार्यालय व्यय	57
22–आथित्य व्यय विषयक भत्ता आदि	25
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	19
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	20
योग–	**121**
	₹ एक लाख इक्कीस हजार मात्र।

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांकः 31 मार्च, 2011 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31 मार्च 2012 तक कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग–00–25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान (102 03 से स्थानान्तरित) मद अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित दिशा निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2126/VII-II-11/191–उद्योग/2007 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
6. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।